न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,डीग

मु0नम्बरः- 65/2018(जी.सी.एम.एस. 2018/00076)

पीठासीन अधिकारीः-श्री देवी सिंह
(R.A.S)

उनवान

1. नन्दन पुत्र नत्थी
2. परमानन्द
3. नारायन सिंह — पुत्रगण खैमचन्द
4. भूरी सिंह
5. भिक्की
6. दिगम्बर — पुत्रगण रेवती
7. श्रीमति प्रेमवती वेवा रेवती

जातियान धीमर नि0 ग्राम खेडा ब्राह्मण तहसील डीग

-वादीगण

बनाम

1. शिव सिंह
2. मौहर सिंह — पुत्रगण जैतू
3. चन्दन
4. दरवो — पुत्रगण रेखलाल
5. पुष्पा पत्नी लखन
6. पवन पुत्र लखन

जातियान लोधा नि0 ग्राम बदनगढ तहसील डीग

7. तहसीलदार तहसील डीग प्रतिनिधि राज0 सरकार

-प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 आर.टी.एक्ट,

निर्णय

दिनांकः 28.05.2025

वादीगण द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया गया है कि आराजी खसरा नम्बरान 377/0.01, 378/1/1. 21,378/2/0.30, 379/0.41 वाके ग्राम बदनगढ तहसील डीग विवादित आराजी को हाल बन्दोवस्त में गत आराजी खसरा नम्बर 439 रकबा 11 वीघा 3 विस्वा वाके ग्राम बदनगढ तहसील डीग के बदले में बनाया गया है। उक्त आराजी शुरू से ही वादी संख्या 1 के पिता एवं वादी संख्या 02 लगायत 6 के दादा एवं वादिनी संख्या 7 के ससुर नत्थी वल्द मुकन्दा जाति धीमर की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी थी। जिसमें वादीगण का उक्त पूर्वज नत्थी

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

अपने जीवनकाल में पानी भरकर सिंघाडे की खेती करता था जिसकी मृत्यु होने पर उसके स्थान पर वादीगण लगातार विवादित आराजी पर काबिज रहकर पानी में डूबी हुई फसलें सिंघाडे इत्यादि की पैदा करते चले आ रहे है तथा वादीगण वर्तमान में भी विवादित आराजी पर वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है। बन्दोवस्त विभाग द्वारा गलत तरीके पर गत खसरा नम्बर 439 रकबा 11वीघा 3 विस्वा से नवीन खसरा नम्बरान 377/0.01, 378/1.51, 379/0.41, बनाते हुए विवादित आराजी में से खसरा नम्बर 377 व 378 को प्रति0 संख्या 1 व 2 के पिता जैतू व प्रति0 संख्या 3 व 4 के पिता रेखलाल पुत्रगण नन्दन के नाम तथा विवादित खसरा नम्बर 379/0.41 को राधावल्लभ पुत्र नारायन,गोपाली पुत्र कल्ला जाति लोधा नि0 ग्राम बदनगढ के नाम इन्द्राज दर्ज कर दिये,जबकि उक्त प्रति0 तथा राधाबल्लभ पुत्र नारायन,गोपाली पुत्र कल्ला का उक्त आराजी से कभी कोई सम्बन्ध किसी प्रकार नहीं रहा और ना ही कभी पहले था। इसके बाद राजस्व कर्म0 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में फेरबदल करते हुए गलत तरीके पर विवादित खसरा नम्बर 378/1.51 के बटा नम्बर कर खसरा नम्बर 378/1/1.21, 378/2/0.30 बनाते हुए व खसरा नम्बर 379/0.41को सिवायचक(पानी के नीचे डूबे हुए) दर्ज कर दिया,जबकि उक्त आराजी सिवायचक आराजी नहीं थी। बल्कि वादीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी थी जिसमें वादीगण पानी भरकर सिंघाडे की फसल करते थे और विवादित आराजी में वर्श भर पानी भरा रहता था जिसका नाजायज फायदा उठाते हुए गलत तरीके पर सिवायचक पानी के नीचे डूबे हुए दर्ज कर दिया विवादित आराजी खसरा नम्बर 377/0.01को प्रति0 के नाम इन्द्राज दर्ज कर दिया जिससे वादीगण की सख्त हकतल्फी है। प्रति0 का विवादित आराजी खसरा नम्बर 377/0.01, पर कोई कब्जा किसी प्रकार से नहीं है तथा वादीगण विवादित आराजी पर काबिज काश्त है। बन्दोवस्त विभाग को वादीगण के गत इन्द्राजात बावत राजस्व रिकार्ड को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बदलने का अधिकार प्राप्त नहीं है इसलिए वादीगण दावीदार है और विवादित आराजी पर हो रहे इन्द्राजात प्रति0 को कलमजन कराकर अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है। गलत इन्द्राज के आधार पर प्रति0 के मन में बेईमानी व बदयान्ति आई हुई है। जिससे प्रति0 वादीगण को बेदखल कर देना चाहते है। अतः निवेदन है कि आराजी खसरा नम्बरान 377/0.01, 378/1/1.21, 378/2/0.30, 379/0.41 वाके ग्राम बदनगढ तहसील डीग के हिस्सा 1/3 का वादी संख्या 1 तथा 1/3 के वादीगण संख्या 2 लगायत 4 वाहिस्सा बरावर तथा शेष हिस्सा 1/3 के वादीगण संख्या 5 लगायत 7 वाहिस्सा बरावर खातेदार काश्तकार है,पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घाषित किया जावे तथा प्रति0 के इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर प्रति0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद फरमाया जावे कि वादीगण के कब्जे का-त में मजाहमत मदाखलत नहीं करें।

दावा वादिया दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रति0 संख्या 01 लगायत 5 बावजूद सूचना व तामील के उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व दिनांक 12.06.2018 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 12.03.2020 को प्रति0 संख्या 6 बाबजूद रजिस्टर्ड तामील के उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

दिनांक 18.02.2022 को जबाव सरकार पेश किया गया। जबाव में वर्णित किया गया है कि वादीगण मुताविक राजस्व अभिलेख सही है। मुताविक नकल जमाबन्दी सम्बत 2070-2073 वाके ग्राम बदनगढ के खसरा नम्बर 378/1 रकबा 1.21 हैक्टे0 गै.मु. पोखर, 378/2 रकबा 0.30 हैक्टे0 गै.मु. पोखर,379 रकबा 0.41 हैक्टे0 गै.मु. पोखर (पानी के

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

नीचे डूबे) सिवायचक दर्ज रिकार्ड है तथा खसरा नम्बर 377 रकबा 0.01हैक्टे0 गै.मु. ट्यूबैल शिवसिंह,मौहरसिंह,लखन पिस0 जैतू वाहि0 बरावर 1/2 रेखलाल पुत्र नन्दन 1/2कॉम लोधा सा0देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। मुताविक नकल मिलान क्षेत्रफल के साविक खसरा नम्बर 439 मि. रकबा 7वीघा 3 विस्वा से हाल खसरा नम्बर 377 रकबा 0.01, 378 रकबा 1.51 हैक्टे0 व साविक खसरा नम्बर 439 मि. 4 वीघा 3 विस्वा से हाल खसरा नम्बर 379 रकबा 0.41 हैक्टे0 बनाये गये है। मुताविक जमाबन्दी सम्बत 2011-2014 व 2023-2024 के साविक खसरा नम्बर 439 रकबा 11वीघा 3 विस्वा की किस्म गै.मु.पोखर है। मुत0 आराजी जलमग्न भूमि है। जलमग्न भूमि में ही सिंघाडा की फसल काश्त की जाती है। जबाव दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादीगण खारिज फरमाया जावे।

दावा व जबाव दावा की प्लीडिंग के आधार पर निम्नांनुसार तनकी कायम की गई:-

1. आया वादीगण विवादित आराजी खसरा नम्बरान 377/0.01, 378/1/1.21, 378/2/0.30, 379/0.41 वाके ग्राम बदनगढ तहसील डीग के खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है?
2. आया वादीगण,प्रति0 को जरिये डिक्री स्थाई निशेधाज्ञा पावंद करा पाने के अधिकारी है?
3. दादरसी?

साक्ष्य वादीगण में नारायन सिंह पुत्र खैमचन्द के बयान दर्ज कराये गये। दावा के समर्थन में नकल जमाबन्दी सम्वत 2070-73 प्रदर्श-1,नकल जमाबन्दी सम्बत 2070-73 प्रदर्श-2,नकल गत जमाबन्दी सम्बत 2023-26 प्रदर्श-03,नकल गत जमाबन्दी सम्बत 2014-17 प्रदर्श-04, नकल खसरा गिरदावरी सम्बत 2011-14 प्रदर्श-05, नकल खसरा पत्रक प्रदर्श-06,नकल मिलान क्षेत्रफल पेश किये गये।

प्रति0 संख्या 01 लगायत 06 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से वकील वादीगण एवं प्रति0 संख्या 07 तहसीलदार/प्रतिनिधि सरकार की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने बहस के दौरान दावे में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि आराजी खसरा नम्बरान 377/0.01, 378/1/1.21, 378/2/0.30, 379/0.41 वाके ग्राम बदनगढ तहसील डीग के हिस्सा 1/3 का वादी संख्या 1 तथा 1/3 के वादीगण संख्या 2 लगायत 4 वाहिस्सा बरावर तथा शेष हिस्सा 1/3 के वादीगण संख्या 5 लगायत 7 वाहिस्सा बरावर खातेदार काश्तकार है,पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रति0 के इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर प्रति0 को स्थाई निशेधाज्ञा से पावंद फरमाया जावे कि वादीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत नहीं करें।

प्रति0 संख्या 07 तहसीलदार डीग के द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत पैरोकार जबाव को ही बहस समझे जाने का अनुरोध किया गया।

दावे के समर्थन में वादीगण के द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड, जबाव सरकार,बयान का अवलोकन व वकील वादीगण व प्रति0 संख्या 07 की बहस पर मनन किया गया।

वकील वादी ने बहस में कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बरान 377/0.01, 378/1/1.21, 378/2/0.30, 379/0.41 वाके ग्राम बदनगढ तहसील डीग में स्थित है। नकल जमाबन्दी हाल सम्बत 2070 से 2073 पेश है। जिसे बन्दोवस्त में गत आराजी खसरा नम्बर 439 रकबा 11 वीघा 3 विस्वा से बनाया गया है। पुराना खसरा नम्बर 439 हमारे पिता नत्थी वल्द मुकन्दा की खातेदारी का था। भू-प्रबंध में नये खसरा नम्बर 377,378,379 बनाये गये है। भू-प्रबंध में इन खसरा नम्बरान को प्रतिवादीगण के नाम कर दिया है। खसरा नम्बरान 377/0.01, 378/1/1.21, 378/2/0.30 को प्रति0 संख्या 01 लगायत 04 के नाम कर दिया। खसरा नम्बर 379 को प्रति0 संख्या 01 लगायत

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज

Scanned with OKEN Scanner

04 के नाम कर दिया। मैने भू-प्रबंध का रिकार्ड पेश किया है। सम्बत 2046 तक जमीन इनके नाम चलती रही। हम लोग जाति धीमर से है। धीमर जाति के लोग सिंघाडे की फसल करते है। किसी ने इसे पानी में नीचे डूबी हुई रिकार्ड में लिख दिया। भू-प्रबंध के बाद सम्बत 2046 में इसे सिवायचक कर दिया। बिना किसी आदेश के मुझे खातेदार से सिवायचक कर दिया। मैं गैर खातेदार नहीं था। मौके पर आज भी मेरा ही कब्जा है। वादीगण भू-प्रबंध से पूर्व खातेदार थे। भू-प्रबंध ने हमारी भूमि को प्रतिवादीगण के नाम कर दिया और सम्बत 2046 में प्रतिवादीगण के नाम काटकर सिवायचक कर दिया। वर्तमान में भी सिवायचक है और मौके पर हमारा कब्जा है।

प्रतिवादी संख्या 7 पैरोकार सरकार ने अपने जबाव को बहस समझे जाने का अनुरोध किया।

हमने वादी के वादपत्र प्रतिवादी के जबाव,पीडब्ल्यू-1 वादी नारायन सिंह पुत्र खैमचन्द,जमाबन्दी सम्बत 2070 से 2073, खसरा नम्बर 378/1 रकबा 1.21 किस्म गै.मु. पोखर,378/2 रकबा 0.30 किस्म गैर मुमकिन पोखर खसरा नम्बर 379 रकबा 0.41 किस्म गै.मु.पोखर खाता संख्या 1 पानी के नीचे डूबे राजकीय भूमि दर्ज है। प्रदर्श-1 खसरा नम्बर 377 रका 0.01 किस्म गै.मु.ट्यूबैल जमाबन्दी सम्बत 2070 से 2073 शिवसिंह,मौहर सिंह,लखन पिस0 जॅतू बहि. बरावर 1/2 रेखलाल पुत्र नन्दन हि0 1/2 कॉम लोधा सा.देह खातेदार दर्ज है। प्रदर्श-2, जमाबन्दी सम्बत 2023 से 2026 साविक खसरा नम्बर 439 रकबा 11 वीघा 3 विस्वा किस्म गै.मु. पोखर नत्थी वल्द मुकन्दा कॉम धीमर सा. देह खेडा के नाम दर्ज है। प्रदर्श-3 जमाबन्दी सम्बत 2011 से 2014 खसरा नम्बर 439रकबा 11 वीघा 3 विस्वा किस्म उत्तर 8 वीघा गै.मु. पोखर,पानी का 2 वीघा, 1 वीघा 2 विस्वा गै.मु. पोखर दर्ज है। प्रदर्श-4 खसरा गिरदावरी सम्वत 2011 से 2014 में सम्बत 2012 में 8 वीघा सिंघाडे 1 वीघा 3 विस्वा गै.मु. पोखर, 2 वीघा खाली दर्ज है। सम्वत 2011 में 10 वीघा सिंघाडा,सम्बत 2013 में 1 वीघा,सिंघाडा, सम्बत 2014 में 8 वीघा सिंघाडा दर्ज है। प्रदर्श-5 भू-प्रबंध खतौनी मिसल सम्बत 2041 में खसरा नम्बर 377 रकबा 0.01 गै.मु. ट्यूबैल खसरा नम्बर 378 रकबा 1. 51 चाही तृतीय 1.00 हैक्टे0 जाव तृतीय 0.51 हैक्टे0 जॅतू रेखलाल पिस0 नन्दन कॉम लोधा सा.देह व.हि.बरावर दर्ज है। प्रदर्श-6 भू-प्रवंध मिसमल सम्बत 2041 खसरा नम्बर 379 रकबा 0.41 किस्म चाही दोयम 0.25 हैक्टे0 जाव दोयम 0.16 हैक्टे0 राधाबल्लभ पुत्र नारायन गोपाली पुत्र कल्ला. वहि0 बरावर सा.देह कॉम लोधा खातेदार दर्ज है। प्रदर्श-8, मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2041 प्रदर्श-7 जमाबन्दी सम्बत 2046 से 2048 में खसरा नम्बर 378/1 रकबा 1. 21 गै.मु. पोखर पानी में डूबी हुई भूमि मकबूजा सरकार दर्ज है। प्रदर्श-9 जमाबन्दी सम्बत 2046 से 2048 खसरा नम्बर 377 रकबा 0.01 गै.मु. ट्यूबैल खसरा नम्बर 378/2 रकबा 0.30 जाव तृतीय जॅतू,रेखलाल पिस0नन्दन कॉम लोधा सा0देह खातेदार इ.नम्बर 26 दर्ज है। प्रदर्श-10 जमाबन्दी सम्बत 2046 से 2048 में खसरा नम्बर 379 रकबा 0.41 किस्म चाही 0.25 जाव दोयम 0.16 राधावल्लभ पुत्र नारायन गोपाली पुत्र कल्ला वहि0बरावर सा.देह कॉम लोधा खातेदार दर्ज है।

प्रदर्श-11 जमावन्दी के खाता संख्या 20 के खसरा नम्बर 379/0.41 राधाबल्लभ पुत्र नारायन व गोपाली पुत्र कल्ला बहि0बरावर सा.देह कॉम लोधा खातेदार दर्ज है। जिसमें चाही सोयम 0.25 चाही दोयम भूमि वर्गीकरण दर्ज है।

वकील वादीगण की बहस पर मनन किया गया। तनकीयात निम्नांनुसार निर्णीत की गई:-

तनकी संख्या:-1,आया वादीगण विवादित आ.ख.नम्बरान 377/0.01, 378/1/1.21, 378/2/0.30, 379/0.41 वाके ग्राम बदनगढ तहसील डीग के खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है?

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण पर है।

प्रदर्श-2, जमाबन्दी सम्बत 2070 से 2073 खसरा नम्बर 377/0.01 किस्म गै.मु. ट्यूबैल प्रतिवादी संख्या 1,2(5 व 6)के पिता रेखलाल बहि0 बराबर 1/2 प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के पिता रेखलाल हि0 1/2 साविक देह खातेदार दर्ज है।

प्रदर्श-1,जमाबन्दी सम्बत 2070 से 2073 में खसरा नम्बर 378/1 रकबा 1.21 किस्म गै.मु.पोखर व खसरा नम्बर 378/2 रकबा 0.30 किस्म गै.मु. पोखर खसरा नम्बर 379 रकबा 0.41 किस्म गै.मु. पोखर खाता संख्या 1 पानी के नीचे डूबे हुए राजकीय भूमि दर्ज है।

प्रदर्श-5, भू-प्रबंध खतौनी मिसल सम्बत 2041 में खसरा नम्बर 377/0.01 गै.मु.ट्यूबैल खसरा नम्बर 378 रकवा 1.51 चाही तृतीय 1.00हैक्टे. जाव तृतीय 0.51 हैक्टे0 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता जॅतू व प्रति0 3 व 4 के पिता रेखलाल पिस.नन्दन कॉम लोधा बहि0बरावरा दर्ज है।

प्रदर्श-6, भू-प्रबंध मिसल सम्बत 2041 में खसरा नम्बर 379 रकबा 0.41 किस्म चाही दोयम 0.25 हैक्टे0 जाव दोयम 0.16 हैक्टे0 राधावल्लभ पुत्र नारायन गोपाली पुत्र कल्लन बहि0 बरावर सा.देह कॉम लोधा खातेदार दर्ज है।

प्रदर्श-9, जमाबन्दी सम्बत 2046 से 2048 में खसरा नम्बर 377 रकबा 0.01 गै.मु.ट्यूबैल खसरा नम्बर 378/2 रकबा 0.30 जाव तृतीय प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 के पूर्वज जॅतू,रेखलाल पिस0 नन्दन खातेदार दर्ज है। इ.नम्बर 26 दर्ज है।

प्रदर्श-10, जमाबन्दी सम्बत 2046 से 2048 में खसरा नम्बर 379/0.41 किस्म चाही 0.25 जाव दोयम 0.16 राधावल्लभ पुत्र नारायन गोपाली पुत्र कल्लन व हि. बरावर सा.देह खातेदार दर्ज है।

प्रदर्श-8, जमाबन्दी सम्बत 2046 से 2048 में खसरा नम्बर 378/1 रकबा 1.21गै.मु.पोखर दर्ज है।

प्रदर्श-1,2,5,6,9 व 10 में वर्तमान आराजी खसरा नम्बर 377/0.01, 378/1/1.21, 378/2/0.30, 379/0.41 वादीगण या वादीगण के पूर्वजों के नाम नहीं है। मिसल बन्दोवस्त सम्बत 2041,

प्रदर्श-7, भू-प्रबंध मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2041 में हाल खसरा नम्बर 377/0.01 साविक खसरा नम्बर 439मिन रकबा 7 वीघा 3 विस्वा हाल खसरा नम्बर 378/1.51 साविक खसरा नम्बर 439मिन से व हाल खसरा नम्बर 379/0.41 साविक खसरा नम्बर 439मिन रकबा 4 वीघा 3 विस्वा से बनना प्रदर्शित है।

प्रदर्श-3, जमाबन्दी सम्बत 2023 से 2026 में साविक खसरा नम्बर 439 रकबा 11 वीघा 3 विस्वा नत्थी वल्द मुकन्दा कॉम धीमर सा.देह खेडा ब्राह्मण खातेदार दर्ज है।

प्रदर्श-4, जमाबन्दी सम्बत 2011 से 2014 में साविक खसरा नम्बर 439 रकबा 11वीघा 3 विस्वा उत्तर 8 वीघा गै.मु. पोखर पूर्व का 2 वीघा 2 विस्वा गै.मु. पोखर 1 वीघा 2 विस्वा नत्थी वल्द मुकन्दा कॉम धीमर सा.देह खेडा ब्राह्मण गैर मौरोसी दर्ज है।

प्रदर्श-5, खसरा गिरदावरी सम्बत 2011 से 2014 में साविक खसरा नम्बर 439 रकबा 11 वीघा 3 विस्वा नत्थी वल्द मुकन्दा जाति धीमर सा.देह खेडा ब्राह्मण गैर मौरोसी दर्ज है। जिसमें 2011 में 10 वीघा सिंघाडा 1 वीघा 3 विस्वा गै. मु.पोखर दर्ज है। सम्बत 2012 में सिघाडे 8 वीघा, गै.मु.पोखर 1 वीघा 3 विस्वा खाली 2 वीघा

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

प्रदर्श-4 व 5 में वादीगण का पूर्वज नत्थी साविक खसरा नम्बर 439 रकबा 11 विस्वा को गैर मौरोसी खातेदार दर्ज रहा है जोकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रवृत होने का समय है। सम्बत 2012 की जमाबन्दी को आधार पूर्व की जमाबन्दी माना जाता है। जिसमें वादीगण का पूर्वज गैर मौरोसी दर्ज है। जिसमें 8 वीघा 3 जाव 1 वीघा 2 विस्वा कुल 9 वीघा 2 विस्वा पर गैर मुमकिन पोखर दर्ज है। 2 वीघा 2 विस्वा पूर्व का लिखा हुआ है। सम्बत 2023 से 2024 के जमाबन्दी के अनुसार नत्थी वल्द मुकन्दा के खातेदार दर्ज किया गया है। प्रदर्श-3 दौराने भू-प्रबंध साविक खसरा नम्बर 439 रकबा 11 विस्वा से बने हाल खसरा नम्बर 377/0.01 गै.मु.ट्यूबैल 378/1.51 चाही तृतीय जाव तृतीय पर प्रतिवादीगण से पूर्वज जॅतू रेखलाल को गलत रूप से खातेदार दज्र किया गया है।

प्रदर्श-6 व प्रदर्श 8 पर खसरा नम्बर 379/0.41 चाही दोयम जाव,दोयम 0.16 पर राधावल्लभ पुत्र नारायन गोपाली पुत्र कल्ला वहि0 बरावर सा.देह खातेदार भी भू-प्रबंध कार्मिकों ने गलत रूप से दर्ज किया है। प्रदर्श-8, प्रदर्श-6 प्रदर्श-8 भू-प्रबंध की मिसलें है।

प्रदर्श-9, जमाबन्दी सम्बत 2046 से 2049 के खसरा नम्बर 378/1 रकबा 1.21 गै.मु. पोखर इ.नम्बर 26 द्वारा दर्ज कर भूमि को सिवायचक दर्ज किया गया है। जोकि प्रदर्श-1 जमाबन्दी सम्बत 2070 से 2073 अनुसार आज भी सिवायचक भूमि दर्ज है।

हाल खसरा नम्बर 377/0.01 गै.मु. ट्यूबैल 378/2 रकबा 0.30 जाव तृतीय जो सम्बत 2046 से 2049 में प्रदर्श-10 पर व प्रदर्श-6 पर मिसल बन्दोवस्त में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज किया गया है। प्रदर्श-1 जमाबन्दी सम्बत 2070 से 2073 में 378/2 रकबा 0.30 गै.मु. पोखर सिवायचक खाते में दर्ज है।

हाल खसरा नम्बर 379/0.41 प्रदर्श-8 मिलस बन्दोवस्त सम्बत 2041 व जमाबन्दी 2043 से 2046 में राधावल्लभ पुत्र नारायन गोपाली पुत्र कल्ला बहि0 बरावर दर्ज है। जो मुताविक जमाबन्दी 2043 से 2046 इ.नम्बर 160 दिनांक 04.06.1992 से निगरानी,

प्रदर्श-1,जमाबन्दी सम्बत 2070 से 2073, 379/0.41 गै.मु. पोखर सिवायचक खाते में दर्ज है।

तहसीलदार डीग से दिनांक 07.01.2025 को प्राप्त रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 378/1, 378/2, 379 मु. रिकार्ड खाता संख्या 1 सरकारी में किस्म गै.मु. पोखर दर्ज है। मौके पर पोखर बनी हुई है। जिसमें पानी भरा हुआ है। ग्राम मवेशियों को पानी पिलाने के काम आ रही है। सार्वजनिक उपयोग हो रहा है। खसरा नम्बर 377/0.01 मुताविक रिकार्ड प्रतिवादीगण के नाम है। नक्शाशीट के खसरा नम्बर 378/1/.21 है। गैर मुमकिन पोखर के मध्य स्थित है।मौके पर पानी भरा हुआ है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि की श्रेणी में समस्त वादग्रस्त भूमि आती है। तालाव या पोखर की भूमि या जलभाव भूमि जिसका उपयोग सिंघाडे या अन्य उपज में होता है। ऐसी भूमियों पर खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होते है।

राजस्थान उच्च न्यायालय डी.बी.सिविल रिट पिटीसन नम्बर 1536/2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि जो राजस्व अभिलेख में नाडी,तालाब,झील के नाम से अधिनियम है उन्हें पुनः रिकार्ड में जो स्थिति 15.08.1947 में थी अंकित किया जावे ऐसी भूमि को सरकारी घोषित किया जावे। विधिवत आवश्यक होकर

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

आसामियों को खातेदारी मिल गई है। उस भूमि को 15.08.1947 को जो भूमि की किस्म थी वही दर्ज की जाकर खातेदारों को वेदखल किया जावे।

तहसीलदार डीग के मुताविक वादग्रस्त आराजी के हाल खसरा नम्बरान 378/1, 378/2, 379, 377 में वर्तमान में पोखर है और सार्वजनिक प्रयोजन में उपयोग की जा रही है। केवल खसरा नम्बर 377/0.1 प्रतिवादीगण के नाम है और शेष खसरा नम्बर 378/1, 378/2,379 पूर्व में सरकारी खाते में गैर मुमकिन पोखर दर्ज है। वादीगण द्वारा उक्त खसरा नम्बर के साविक खसरा नम्बर 439 रकबा 11 वीघा 3 विस्वा किस्म गै.मु.पोखर बर्ष 2011 से 2014 की जमाबन्दी में दर्ज है।

वादीगण को खतोदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। जिस खसरा नम्बर 377/0.1 किस्म गै.मु.ट्यूवैल पर प्रतिवादीगण की खातेदारी दर्ज है वह भी कलमजन योग्य है। जिसे गै.मु. दर्ज किया जाना हम उचित समझते है। तनकी संख्या 01 विरूद्व वादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्याः-2, आया वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा पावंद करा पाने के अधिकारी है?

तनकी संख्या 01 वादीगण के विरूद्व निर्णीत की जा चुकी है। तनकी संख्या 2 भी विरूद्व वादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्याः-3, दादरसी?

उभय पक्षकार अपना अपना वाद खर्च स्वयं वहन करें।

उपर्युक्त विवरण अनुसार वादीगण के द्वारा प्रस्तुत दावे को हम खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है किः-

वादीगण का दावा अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 आर.टी.एक्ट, दस्तावेजी साक्ष्य से सावित नहीं होने व विधि विरूद्व होने के कारण अस्वीकार/खारिज किया जाता है। हाल आराजी खसरा नम्बर 377/0.01 किस्म ट्यूवैल जो हाल राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण के नाम है उसे कलमजन किया जाकर सरकारी खाते में गैर मुमकिन पोखर दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 28.05.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner